

28/10/21

Form No-III

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

रायसिंहनगर

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 171 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी किए |
|------------|--|--|
| 28/10/21   | <p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/331-403 दिनांक 28/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैंप कोर्ट ग्राम पंचायत <u>रायसिंहनगर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>3.F.F.B</u> की जमावदी सम्वत् <u>2075-2078</u> के खाता सं <u>103</u> में <u>S.B.B.S</u> <u>रायसिंहनगर</u></p> <p>के स्थान पर <u>S.B.S रायसिंहनगर</u></p> <p>नहीं दुरुस्ती करने जाने की अनुशंसा की है। मजमा-ए-आम कैंप कोर्ट में जमावदी रायसिंहनगर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक <u>3.F.F.B</u> तहसील रायसिंहनगर की जमावदी सम्वत् <u>2075-2078</u> के खाता सं <u>103</u> में <u>S.B.B.S रायसिंहनगर</u></p> <p>के स्थान पर <u>S.B.S रायसिंहनगर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><u>रा</u><br/>(अर्पिता सोनी)<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>रायसिंहनगर</p> |  |

